वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि,-

1. स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति का निम्नलिखित मामलों में परिहार किया जायेगा, अर्थात् :-
   (i) इस अधिसूचना की तारीख तक कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष लम्बित ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 08.03.2017 से 30.4.2017 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया गया हो।
   (ii) दिनांक 08.03.2017 से 30.04.2017 की कालावधि के दौरान कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष फाइल किये गये ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 08.03.2017 से 30.04.2017 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया गया हो।
   (iii) इस अधिसूचना की तारीख तक कलक्टर (स्टाम्प) द्वारा न्यायनिर्णीत ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 08.03.2017 से 30.4.2017 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया गया हो।
   (iv) इस अधिसूचना की तारीख तक राजस्थान कर बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में लम्बित ऐसे मामले जिनमें पक्षकार मामले को प्रत्याहृत कर लेता है और ऐसे प्रत्याहरण का सबूत प्रस्तुत कर देता है और संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 08.03.2017 से 30.04.2017 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया गया हो।
2. उन मामलों में जहां कलक्टर (स्टाम्प) द्वारा न्यायनिर्णीत स्टाम्प शुल्क इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व पहले ही निक्षिप्त करा दिया गया है, वहां स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति की रकम में 80 प्रतिशत की कमी अनुज्ञात की जायेगी यदि ब्याज और शास्ति की शेष 20 प्रतिशत रकम 08.03.2017 से 30.04.2017 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दी गयी है।
3. राजस्थान कर बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लम्बित ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क की कुल रकम इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व निक्षिप्त करा दी गयी है और पक्षकार मामले को प्रत्याहृत कर लेता है और ऐसे प्रत्याहरण का सबूत प्रस्तुत कर देता है वहां स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति की रकम में 80 प्रतिशत की कमी अनुज्ञात की जायेगी यदि ब्याज और शास्ति की शेष 20 प्रतिशत रकम 08.03.2017 से 30.04.2017 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दी गयी है।
4. राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण फाइल करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 65 के परन्तुक के अधीन निक्षिप्त रकम स्टाम्प शुल्क के संदाय के मद्दे समायोजित की जायेगी।
5. उपर्युक्त मामलों में, पहले से संदत्त स्टाम्प शुल्क या अन्य रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-115]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that,-

1. interest and penalty payable on stamp duty shall be remitted in the following cases, namely:-
   (i) cases pending before the Collector (Stamps) upto the date of this notification in which the stamp duty payable has been deposited during the period from 08.03.2017 to 30.04.2017.
   (ii) cases filed before Collector (Stamps) during the period from 08.03.2017 to 30.04.2017 in which the stamp duty payable has been deposited during the period from 08.03.2017 to 30.04.2017.
   (iii) cases adjudicated by the Collector (Stamps) upto the date of this notification in which the stamp duty payable has been deposited during the period from 08.03.2017 to 30.04.2017.
   (iv) cases pending before Rajasthan Tax Board, Rajasthan High Court or in any other Court upto the date of this notification wherein party withdraws the case and submits the evidence of such withdrawal and the stamp duty payable has been deposited during the period from 08.03.2017 to 30.04.2017.
2. cases where stamp duty adjudicated by the Collector (Stamps) has already been deposited before the date of this notification, 80 percent reduction in the amount of interest and penalty payable on stamp duty shall be allowed if the remaining 20 percent amount of interest and penalty has been deposited during the period from 08.03.2017 to 30.04.2017.
3. cases pending before Rajasthan Tax Board, Rajasthan High Court or in any other Court wherein the total amount of stamp duty payable has been deposited before the date of this notification and the party withdraws the case and submits the evidence of such withdrawal, 80 percent reduction in the amount of interest and penalty payable on stamp duty shall be allowed if the remaining 20 percent amount of interest and penalty has been deposited during the period from 08.03.2017 to 30.04.2017.
4. the amount deposited under proviso to the section 65 of the said Act for filling revision before Rajasthan Tax Board, shall be adjusted towards the payment of stamp duty.
5. in the aforesaid cases stamp duty or any other amount already paid shall not be refunded.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-115]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government